

## छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021(फाल्गुन-18,1942)

### महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का गठन

छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-च के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2021 को महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2021 से 2023 की अवधि में सेवा करने के लिये तथा नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन समिति के सभापति को नियुक्त किया गया :-

1. डॉ. लक्ष्मी ध्रुव
2. श्री लालजीत सिंह राठिया
3. श्री संतराम नेताम
4. श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा
5. श्रीमती ममता चन्द्राकर
6. श्रीमती छन्नी चन्दू साहू
7. श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल
8. डॉ. रेणु अजीत जोगी
9. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, सदस्य, को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े  
प्रमुख सचिव.